"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2012—आषाढ़ 8, शक 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. रूही सगीर आत्मजा श्री शेख मोहम्मद सगीर, आयु 29 वर्ष, निवासी-न्यू आदर्श नगर, बोरसी रोड, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य शासकीय व अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कु. तरन्नुम आ. श्री शेख मोहम्मद सगीर अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम कु. रूही सगीर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे कु. रूही सगीर आत्मजा श्री शेख मोहम्मद सगीर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

कु. तरन्नुम सगीर
आत्मजा-श्री शेख मोहम्मद सगीर
निवासी-न्यू आदर्श नगर
बोरसी रोड, दुर्ग
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कु. रूही सगीर
आत्मजा-श्री शेख मोहम्मद सगीर
निवासी-न्यू आदर्श नगर
बोरसी रोड, दुर्ग
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, देव श्रीवास्तव (DEV SHRIVASTAVA) पिता श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, माता श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव, उम्र 35 वर्ष, निवासी एम.आई.जी.-140, टाटीबंध रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं अपने पूर्व नाम देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (DEVENDRA KUMAR SHRIVASTAVA) व देवेन्द्र श्रीवास्तव (DEVENDRA SHRIVASTAVA) जो कि मेरे पासपोर्ट E 7062155 एवं पेन कार्ड BDKPS 7772P में अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम देव श्रीवास्तव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे देव श्रीवास्तव (DEV SHRIVASTAVA) पिता श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, देवेन्द्र श्रीवास्तव
आत्मज-श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव
निवासी-MIG-140, टाटीबंध
रायपुर (छ.ग.)

नया नाम

देव श्रीवास्तव
आत्मज-श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव
निवासी-MIG-140, टाटीबंध
रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती आर. (राजम) कमला पति श्री आर. (राजम) माधवराव, उम्र 27 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं.-20/ई, सड़क-एवेन्यू डी., जोन-2, खुर्सीपार, थाना-खुर्सीपार, वार्ड नं. 32, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) की हूं, यह कि मेरे पति श्री आर. माधवराव भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत हैं, जिनका पर्सनल नं. 402345 है, मेरे पति के विभागीय अभिलेखों में भूलवश मेरा घरेलू नाम "आर. कल्याणी" दर्ज हो गया है को सुधार कर "आर. कमला" दर्ज किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती आर. कमला पति श्री आर. माधवराव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम

श्रीमती आर. कल्याणी
पति श्री आर. माधवराव
निवासी-क्वार्टर नं. 20/ई, सड़क एवेन्यू-डी.
जोन-2, सेक्टर-11, वार्ड नं. 32
खुर्सीपार, भिलाई
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती आर. कमला
पति श्री आर. माधवराव
निवासी-क्वार्टर नं. 20/ई, सड़क एवेन्यू-डी.
जोन-2, सेक्टर-11, वार्ड नं. 32
खुर्सीपार, भिलाई
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

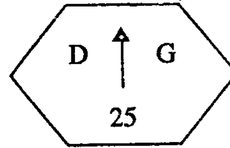
विविध

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 21-05-2012

आदेश क्रमांक/मा.चि./302.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शित बीट हेमर दल्लीराजहरा परिक्षेत्र के कुसुमकसा बीट हेतु चालान क्रमांक 88 दिनांक 28-11-2000 द्वारा जारी किया गया था. उक्त बीट के प्रभारी श्री इन्द्रकुमार कसारे, परिसर रक्षक द्वारा वनक्षेत्र में भ्रमण के दौरान उक्त हेमर जंगल में कहीं पर गिर गया. गुमशुदा हेमर की खोजबीन किया गया, लेकिन उक्त हेमर नहीं मिला. इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दल्लीराजहरा पुलिस थाने में दर्ज की जा चुकी है.



परिक्षेत्र अधिकारी दल्लीराजहरा के पत्र क्रमांक 449 दिनांक 24-03-2011 एवं पत्र क्रमांक 682 दिनांक 08-05-2012 का अवलोकन करने के बाद निम्न आदेश पारित किया जाता है.

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हेमर अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 525/- रुपये श्री इन्द्रकुमार कसारे, परिसर रक्षक, दानीटोला से वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है तथा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त बीट हेमर मिले तो उसे समीपस्थ पुलिस थाना या वन कार्यालय में जमा करे. यदि कोई व्यक्ति उसे अवैधानिक रूप से रखे हुए या उपयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग लगाया जावेगा तथा वह दण्ड का भागी होगा.

जे. पी. चन्द्राकर,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 7 जून 2012

क्रमांक/585/उपंरा/परि./2012.—वस्तुतः क्षेत्रीय महिला बीड़ी उद्योग सह. स., मर्या. राजनांदगांव, पं. क्र. 407 दिनांक 23-7-2001 जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ /उपंरा/परि./2012 दिनांक के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए क्षेत्रीय महिला बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 407, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 7-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 7 जून 2012

क्रमांक/586/उपंरा/परि./2012.—वस्तुत: खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या., खुज्जी, पं. क्र. 56 दिनांक ~ जिला राजनांदगांव को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ /उपंरा/परि./2012 दिनांक के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर में संस्था के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही संस्था की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित हुए हैं. ऐसी स्थिति में उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का उपयोग करते हुए खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या., खुज्जी, वि.खं. डोंगरगांव, पंजीयन क्रमांक 56, जिला राजनांदगांव को परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) अन्तर्लिखित प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71(3) के अधीन अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 7-6-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.